



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244330
CG-DL-E-13032023-244330

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1143]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944

No. 1143]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(पीआईटीएनडीपीएस प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 1190(अ).—जबकि, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जिन्हें स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से शक्ति प्राप्त है, ने उक्त उपधारा के अधीन दिनांक 15.11.2022 को जारी नजरबंदी आदेश सं. यू.-11011/28/2022- पीआईटीएनडीपीएस के अंतर्गत निदेश दिया था कि श्री भवरलाल खिलेरी, पुत्र धन्नाराम खिलेरी, निवासी (i) गांव: खोखरिया, तहसील और थाना: पीपर सिटी, जिला: जोधपुर, (ii) प्लॉट नंबर 70, गौतम नगर, कुडी, बंसी प्रथम चरण, थाना: भगतसनी, जोधपुर को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार करने से रोकने के उद्देश्य से केन्द्रीय कारागार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में नजरबंद किया जाए तथा हिरासत में रखा जाए।

2. जबकि केंद्र सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार है या अपने आपको छिपा रहा है ताकि उक्त नजरबंदी के आदेश का पालन नहीं हो।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत हों।

[सं. यू. -11011/28/2022-पीआईटीएनडीपीएस]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(PITNDPS DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 1190(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India especially empowered under sub-section (1) of section (3) of the Prevention of Illicit Traffic of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued a Detention Order No. U-11011/28/2022-PITNDPS dated 15.11.2022 under the said sub-section directing that Shri Bhawarlal Khileri, S/o Dhannaram Khileri, r/o (i) Village: Khokharia, Tehsil & PS: Pipar City, District: Jodhpur, (ii) Plot No. 70, Gautam Nagar, Kudi, Bansi 1st Phase, PS: Bhagatasni, Jodhpur be detained and kept in custody in Central Jail, Gwalior, Madhya Pradesh with a view to prevent him from engaging in illicit trafficking of narcotic drug & psychotropic substances.

2. Whereas, the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the said detention order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Rajasthan within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[No. U-11011/28/2022-PITNDPS]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.